राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.4 (ई)(1)(6) नि.प. (2131/2013)/अलेसे– III/ 2692 दिनांकः– 05-02-2019

## कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 61 दिनांक 30.06.2017 के कम संख्या 65 पर अंकित श्री सुनील कांवत पुत्र श्री देशराज कांवत निवासी ग्राम–नॉगल उदिया, पोस्ट–जसाई, तहसील–मुण्डावर, जिला–अलवर–301427 (मेरिट नं. 2131/2013 रोल नं. 845966) को क.लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जा कर उनका पदस्थापन कार्यालय ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर (एस.एस.ए.), राजस्थान कोंसिल ऑफ एलीमेंट्री एजूकेशन, उमरैण (अलवर) में किया गया था।

तत्समय श्री कांवत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए, 406 एवं 323 के अंतर्गत माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. नं. 01, नीमकाथाना में प्रकरण संख्या 270/2016 दिनांक 25.07.2016 लंबित होने के कारण पदस्थापन कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यग्रहण नही करवाया गया। अतः प्रकरण की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.2016 के बिन्दु संख्या 01 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अपात्र पाये जाने के कारण श्री सुनील कांवत पुत्र श्री देशराज कांवत के कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4 (ई)(1)(6) नि.प. (2131/2013)/अलेसे– III/ 2692 दिनांकः– 05-02-2019

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष....................................... ।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. श्री सुनील कांवत पुत्र श्री देशराज कांवत निवासी ग्राम–नॉगल उदिया, पोस्ट–जसाई, तहसील–मुण्डावर, ज़िला–अलवर–301427 **(रजिस्टर्ड)**
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं coins में रिकार्ड संधारण हेतु।
7. संयुक्त निदेशक (विधि), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
9. श्री सुशील कुमार नाटाणी, अतिरिक्त प्रशासनिक आधिकारी, कोष एवं लेखा को ईकजाई रिकार्ड संधारण हेतु।
10. डीलिंग सहायक, वरिष्ठता सूची सीट।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)